



पत्र संख्या : गौबुद्धप्राविधि/कुस०का०/2012/...  
दिनांक : २५.८.२०१२

मेवा मे

निदेशक,

चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ कार्मसी,  
कौशाम्बी।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

मध्येदय,

उल्लेखन विभाग के सम्बन्ध में मुझे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2723/सोलह 1-2010-13(13)2010, दिनांक 19 अगस्त, 2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा आपनी बैठक दिनांक 30 दिसंबर, 2011 में चन्द्रशेखर सिंह कालेज आफ कार्मसी, कौशाम्बी को नी०कार्म० पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश धारा आपनी कार्यवाही के साथ त्वक्ति पोषित योजनात्मक निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु दिनांक 1-7-2011 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमत्य की से लेंगी तथा शिक्षण प्रशंसन से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक सूचना संग्रह से उपलब्ध करायेंगी अन्यथा सम्बद्धता की सम्बन्धित विशेषाधिकार द्वारा कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त दिशा-निर्देश संस्था द्वारा दशोंगी गयी सूचनाओं/विवरण में लिखी आपकर की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता व्यतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से लौ गई फीस की सूचना एक पश के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विवार किया जायेगा।
5. आंखेल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुपोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का घड अनुपोदन व्यतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पार्या गयी कमियों का पूर्ण लघूण निराकरण हो जाने के पश्चात वे प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता विवरण की सम्पुत्ति की जा सकेंगी और तभी संस्था को प्रवेश प्राप्तिया में समिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किरी गो समय आकर्षित निरंगेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा। उससे आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित भानकों के सापेक्ष कोई कमियां नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगी।
8. वी. कार्प. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं नियमतः कार्मसी काजन्सिल आफ इण्डिया से आवश्यक अनुपोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।
9. जिन संस्थाओं की आभातशिप एवं विश्वविद्यालय के भानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय रतर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता लद्धार्थवाही के अधीन होगी।
10. संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षिक संस्थाओं गे प्रवेश (अनुरूपित जातियों, अनुरूपित जनजातियों और अन्य ऐछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकरिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या य दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोष्टत:

1. प्रभुत्व सचिव, मा० कुलाशिपति / श्री ग.लाल, उत्तर प्रदेश राजपत्र नखनऊ।
2. प्रभुत्व सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रभुत्व आंखेल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सार्वजनिक संस्था की प्रायाली।

*Singh*  
PRINCIPAL

Chandra Kumar Singh  
College of Technology  
Kotla Ram